न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 17/2024–25 तारीख दायर :–21.05.2024 दिनांक निर्णय :–12.06.2024

पटवारी हल्का नीमला जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

JCMS No- 2024/11

बनाम

बाबूलाल पुत्र रामकृपाल जाति मीना निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नीमला द्वारा राजस्व ग्राम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 7.07 हैक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.03 हैक्ट0 पर चार दीवार बनाकर अतिक्रमण करने पर बाबूलाल पुत्र रामकृपाल जाति मीना निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 7.07 हेक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.03 हेक्ट0 पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक नीमला व पटवारी हल्का सुरेर की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम रतनपुरा की चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र रामकृपाल जाति मीना निवासी रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम रतनपुरा के आराजी खसरा नम्बर 03 रकबा 7.07 हेक्ट0 किस्म चारागाह के भाग 0.03 हेक्ट0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों नीमला एंव पटवारी हल्का नीमला को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 12.06.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 64 पर — पी. पै. 50/-
राशि कायम किये गये।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर